

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर

पीठासीन अधिकारी:- शंकर लाल सैनी, RAS

अपील संख्या : 26/2022

ओमप्रकाश पुत्र श्री कानाराम, जाति-माली, निवासी-ग्राम महारकलां, तहसील-चौमू, जिला जयपुर।

अपीलान्ट,

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का ग्राम महारकलां, तहसील-चौमू, जिला-जयपुर।

रेस्पोंडेंट,

(अपील विरुद्ध अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम विरुद्ध तहसीलदार, चौमू पत्रावली सं० 09/2022 उनवानी सरकार बनाम ओमप्रकाश निर्णय दिनांक 11.02.2022)

उपस्थित:-

1. श्री सुनिल उप्पल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. पेटोकार सरकार उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 06-05-2022

अपीलान्ट ने तहसीलदार, चौमू द्वारा अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 में दर्ज मुकदमा सं० 09/2022 उनवानी सरकार बनाम ओमप्रकाश पुत्र कानाराम मालेरिया में पारित निर्णय दिनांक 11.02.2022 द्वारा ग्राम महारकलां स्थित ख०नं० 701 रकबा 0.04 हे० किस्म गै.मु. रास्ता में अतिक्रमण करने के फलस्वरूप पारित किये गये निर्णय के विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कराया जा कर रेस्पोंडेंट को नियमानुसार नोटिस जारी किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली प्राप्त की गई। हमने उभयपक्ष की बहस सुनी।

अपीलान्ट के विद्वान् अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलान्ट की संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि वाके ग्राम महारकलां, तहसील-चौमू में हाल ख०नं० 330, 317/1484, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 328, 329, 331, 699/1712, 332, 333, 335, 339 कुल रकबा 3.19 हे०, जिनके गत खसरा नम्बरान 222, 223, 221, 219, 225, 227, 220 थे। अपीलान्ट की उक्त संयुक्त कब्जे-काश्त की खातेदारी भूमि में से ख०नं० 328, 323 के पूर्व दिशा की ओर रास्ता रहा है तथा रास्ते व अपीलान्ट की संयुक्त कब्जे-काश्त की भूमि हाल ख०नं० 323 व 328 के मध्य अन्य कोई रास्ता नहीं रहा है, किन्तु दौराने सेटलमेंट अपीलान्ट की संयुक्त कब्जे-काश्त की भूमि हाल ख०नं० 323 तथा 328 के उत्तर दिशा की ओर पूर्व-पश्चिम डोटेड लाईन के रूप में लाईन खिचते हुए नवीन ख०नं० 701 व 700 के बीच गै.मु. रास्ता कायम कर दिया गया। पटवारी हल्का द्वारा विधि-विरुद्ध रूप से ख०नं० 701 पर अतिक्रमण होने की रिपोर्ट करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनुपस्थिति दर्ज कर दिनांक 11.02.2022 को वादग्रस्त निर्णय पारित कर दिया गया।

अपीलान्ट की संयुक्त कब्जे-काश्त की खातेदारी भूमि में से हाल ख०नं० 323 तथा 328 के पूर्व दिशा की ओर कभी भी अपीलान्ट द्वारा गै.मु. रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया गया है ना ही इन दोनों खसरो के मध्य किसी भी प्रकार से डोटेड लाईन के रूप में गै.मु. रास्ते की कोई भूमि स्थित रही है। दौराने



सेटलमेंट राजस्व कर्मचारियों द्वारा विधि-विरुद्ध रूप से नवीन ख0नं0 701 अंकित कर नक्शों में त्रुटि की गई है, अतः वादग्रस्त आदेश निरस्तनीय है।

अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाते समय जयपुर जिले में कोरोना महामारी के चलते न्यायिक कार्य सुचारु रूप से संचालित नहीं थे। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा भी पक्षकार के विरुद्ध प्रभावी निर्णय पारित नहीं करने के निर्देश प्रदान किये गये थे। जिसके कारण अपीलान्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत नहीं कर सका, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर व राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिशा-निर्देशों के विरुद्ध निर्णय पारित कर दिया गया।


अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी अपीलान्त को दिनांक 11.03.2022 को तब हुई जब अपीलान्त को जबरदस्ती बेदखल करने का रेस्पोंडेन्ट द्वारा प्रयास किया गया। जानकारी के पश्चात् अपीलान्त द्वारा दिनांक 14.03.2022 को न्यायालय के खुलने पर अधिवक्ता से सम्पर्क कर निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के पश्चात् अन्दर मियाद यह अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जावें तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि-विरुद्ध रूप से पारित निर्णय खारिज किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। दौराने बहस पेरोकार सरकार ने कथन किया कि दिनांक 24.01.2022 को पटवारी हल्का महारकलां ने अपीलान्त द्वारा ख0नं0 701 रकबा 0.04 हे0 गै.मु. रास्ते की भूमि पर 69 वर्ग मीटर भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर टीन शेड व ईट की दीवार लगाकर निर्माण करने की रिपोर्ट करने पर न्यायालय तहसीलदार, चौमू के यहां प्रकरण दर्ज किया गया तथा नियमानुसार नोटिस जारी कर रेस्पोंडेन्ट की तलबी की गई। रेस्पोंडेन्ट दिनांक 11.02.2022 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ था, परन्तु कोई साक्ष्य अथवा जवाब पेश नहीं किया गया। वादग्रस्त भूमि ख0नं0 701 रिकार्डेड सिवायचक भूमि है और सिवायचक भूमि पर अपीलान्त का कब्जा साबित है। इस संबंध में अपीलान्त द्वारा ना तो कोई जवाब पेश किया गया ना ही कोई बहस की गई। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, चौमू द्वारा अतिक्रमित भूमि के संबंध में पारित निर्णय विधि-अनुरूप है। अतः अपील अपीलान्त निरस्त की जावें।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार दिनांक 11.02.2022 को अपीलान्त स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ था, परन्तु अपीलान्त द्वारा उसके विरुद्ध आरोपित आरोप के विरुद्ध कोई लिखित जवाब अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया ना ही बहस की गई। वादग्रस्त भूमि ख0नं0 701 रकबा 0.04 हे0 भूमि वर्तमान में सिवायचक गै.मु. रास्ता रिकार्ड पर दर्ज है। सिवायचक गै.मु. रास्ता भूमि पर अपीलान्त द्वारा टीन शेड व ईट की दीवार लगाकर निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है। अतः तहसीलदार, चौमू द्वारा सिवायचक भूमि ख0नं0 701 रकबा 0.04 हे0 भूमि पर अपीलान्त द्वारा किये गये अतिक्रमण के विरुद्ध पारित किया गया निर्णय विधि-अनुरूप है। अतः अपील अपीलान्त निरस्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली लौटाई जावें।

निर्णय सेरे इजलास आज दिनांक 06.05.2022 को सुनाया गया।




(शंकर लाल सैनी)
भातिरसत कलक्टर (चतुर्थ)
जयपुर